

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1337
द्वारा माननीय विधायक श्री आरिफ अकील
(वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक रेत के अवैध खनन की जानकारी)

[10/3/2022]

क्रमांक	जिले का नाम	रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगाते हुये वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक पुलिस, जिला प्रशासन एवं खनिज विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध घटित घटनाओं की संख्या			रेत के अवैध उत्खननकर्ता द्वारा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध किये अपराध के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी	2018 से अवैध खनन एवं रायव्टी वारी से शासन को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय हानि हुई।
		गोली चलाने	नारपीट	हत्या		
1	2	3	4	5	6	7.
1	सिंगरौली	निरंक	15	निरंक		
2	अनूपपुर	निरंक	03	निरंक	01 प्रकरण में सजा एवं 02 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन अपराधी के विरुद्ध दिनांक 03.12.2021 को थाना रेहटी में प्राथमिकी दर्ज, अपराधी के विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 353, 332, 379, 308 एवं 3/4 एवं रेत खनिज नियम 2018 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर चालान प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही थाना स्तर पर लंबित। अपराधी के विरुद्ध दिनांक 03.12.2021 को थाना इच्छावर में प्राथमिकी दर्ज, अपराधी के विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 147, 353 एवं 586 के तहत प्रकरण दर्ज किये गये है। अपराधी के विरुद्ध दिनांक 03.12.2021 को थाना नसरुल्लागंज में प्राथमिकी दर्ज, अपराधी के विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 294, 353, 506 एवं 34 के तहत प्रकरण दर्ज किये गये है।	निरंक
3	सीहोर	0	01	निरंक		निरंक
		0	01	निरंक		निरंक

प्रश्न सं. [क. 1337]

(प्रकाश पन्ने)
अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

क्रमांक	जिले का नाम	रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगाते हुये वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक पुलिस, जिला प्रशासन एवं खनिज विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध घटित घटनाओं की संख्या			रेत के अवैध उत्खननकर्ता द्वारा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध किये अपराध के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी	2018 से अवैध खनन एवं शयल्टी चोरी से शासन को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय हानि हुई।
		गोली चलाने	मारपीट	हत्या		
1	2	3	4	5	6	7
4	दतिया	04	06	00	उक्त सभी अपराध में अवैध उत्खननकर्ता आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।	जिले को रेत खदाने में रेत निविदा के ठेकेदार को स्वीकृत की गई है। अतः वित्तीय हानि होने को कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
5	विदिशा	निरक	1	निरक	विदिशा जिले में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक 15 जुलाई 2021 खनिज शाखा विदिशा में पदस्थ खनिज निरीक्षक 01 हमले की घटना घटित हुई है। जिसमें खनि निरीक्षक घायल हुए है। पुलिस द्वारा एक आई.आर. दर्ज कर कार्यवाही गतिशील है।	नहीं
6	छतरपुर	01	0	0	संबंधित थानों के आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय में पेश किये गये, प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।	अवैध उत्खनन/परिवहन पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने से कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है।
7	खरगोन	निरक	03	निरक	संबंधित थानाओं में अपराधियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।	

(प्रकाश पन्दे)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

क्रमांक	जिले का नाम	रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगाते हुये वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक पुलिस, जिला प्रशासन एवं खनिज विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध घटित घटनाओं की संख्या			6	2018 से अवैध खनन एवं रावल्डी चोरी से शासन को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय हानि हुई।
		गोली चलाने	मारपीट	हत्या		
1	2	3	4	5	6	7
8	शिपपुरी	निरंक	07	निरंक	01 प्रकरण में विवेचना जारी कर शेष 06 प्रकरण में चालानी कार्यवाही कर चालान माननीय न्यायालय में पेश किये गये है।	नही
9	मुरैना	24	27	02	दर्ज किये गये कुल 53 प्रकरणों में से 40 प्रकरणों में चालान, 06 प्रकरणों में खाल्सा तथा 07 प्रकरण पुलिस विवेचना में लंबित है।	नही
10	उमारिया	निरंक	13	निरंक	दर्ज किये गये कुल 13 प्रकरणों में से 01 प्रकरण न्यायालय में विचारधीन है। शेष 12 प्रकरणों में प्रकरण कायम कर माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया है।	नही
11	बैतुल	निरंक	01	निरंक	बैतुल जिले की तहसील शाहपुर अंतर्गत गुणडी स्थित तवा नदी में रेत के अवैध खनन पर रोक लगाने तहसीलदार एवं थाना पुलिस शाहपुर की संयुक्त टीम पर हमला कर तहसीलदार और पुलिस की गाडी तोड़ फोड़ की गई जिसके फलस्वरूप आरोपियों वाहन मालिकों एवं वाहन चालकों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर दिनांक 19-05-2020 को 14 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। जिन्हे माननीय न्यायालय के वजारा न्यायाधिक अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया है।	

(प्रकाश पन्ने)

अवर सचिव

ग.प्र. शासन

भाग